न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 46 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मगाराम पुत्र नरसिंगाराम जाति प्रजापत निवासी बरजांगपुरा राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर।		1 तहसीलदार बाड़मेर 2 गंगाराम 3 गुमनाराम पिसरान हुकमाराम 4 चुतराराम 5 दलाराम पिसरान नरसिंगाराम 6 मांगाराम 7 राताराम पिसरान कलाराम 8 हीरों पत्नी कलाराम जाति प्रजापत निवासी बरजांगपुरा राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के. गेराजा, वकील प्रार्थी पक्ष।

आदेश

दिनांक 01/07/2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा बरजांगपुरा पटवार हल्का राणीगांव तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 88 रकबा 9.5263 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता नरसिंगा के फौत होने पर प्रार्थी व उनके भाइयों के नाम खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु प्रार्थी के पिता नरसिंगा के फौत होने पर प्रार्थी का नाम मगाराम पुत्र नरसिंगाराम इन्द्राज होना था परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा त्रुटीवश प्रार्थी का नाम नगाराम गलत इन्द्राज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मगाराम पुत्र नरसिंगाराम है। उक्त नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी का नाम अंकन होने पर भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी मौजा बरजांगपुरा पटवार हल्का राणीगांव तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 88 रकबा 9.5263 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी अपना दस्तावेजी नाम नगाराम के स्थान पर मगाराम पुत्र नरसिंगाराम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी मौजा बरजांगपुरा पटवार हल्का राणीगांव तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 88 रकबा 9.5263 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में नगाराम के स्थान पर मगाराम पुत्र नरसिंगाराम शुद्ध करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाड़मेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/1189 दिनांक 09.05.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि प्रार्थी मौजा बरजांगपुरा पटवार हल्का राणीगांव तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 88 रकबा 9.5263 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी का नाम नगाराम पुत्र नरसिंगा दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी के वर्तमान में धारित आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र में प्रार्थी का नाम मगाराम पुत्र नरसिंगाराम दर्ज है। सहखातेारों से पूछताछ करने पर उन्होने प्रार्थी का सही नाम मगाराम पुत्र नरसिंगाराम होना अवगत करवाया। साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड व राशन कार्ड मौके पर उपलब्ध करवायें। अतः मौजा बरजांगपुरा पटवार हल्का राणीगांव

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 88 रकबा 9.5263 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का सही नाम मगाराम पुत्र नरसिंगाराम किये जाने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाडमेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2073–2076 एवं अन्य राजस्व अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी नगाराम का वास्तविक नाम मगाराम पुत्र नरसिंगाराम है जो राजस्व रेकर्ड जमबान्दी में अशुद्ध नाम नगाराम पुत्र नरसिंगा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहरच पत्र प्रस्तुत किया जिसे उसका नाम मगाराम पुत्र नरसिंगाराम दर्ज है। सहखातेदारान से पूछताछ करने पर नगाराम पुत्र नरसिंगाराम व मगाराम पुत्र नरसिंगाराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया गया। अतः प्रार्थी मौजा बरजांगपुरा पटवार हल्का राणीगांव तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 88 रकबा 9.5263 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी का नाम नगाराम पुत्र नरसिंगा के स्थान पर मगाराम पुत्र नरसिंगाराम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बरजांगपुरा पटवार हल्का राणीगांव तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 88 रकबा 9.5263 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी का नाम नगाराम पुत्र नरसिंगा के स्थान पर मगाराम पुत्र नरसिंगाराम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 01/07/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर